

४८१
१५९२०

CE-1(P)

१५९७

प्रेषक,

धन्देश्वर अधिकारी
लो. १००० तिथि

रमेश कुमार सुधांशु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या—१६९२ /III(2)/20-58(एम.एल.ए.)/2017TCIII

४०६

३८०(P) II

मुख्य अभियन्ता १५९७/११२०
मुख्यालय (नियोजन)

४०८

१५९७/११२०

देहरादून : दिनांक १५ सितम्बर, 2020

लोक निर्माण अनुभाग—२

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-नैनीताल के नैनीताल में कालाढुंगी मोटर मार्ग के किमी. 20 से नलनी तक हल्का वाहन मार्ग का पुनः निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन, जिसकी लम्बाई, 2.00 किमी. एवं लागत ₹ 209.98 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 179.08 लाख (रूपये एक करोड़ उनअस्ती लाख आठ हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (रूपये दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i) विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, विना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।

(iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitale आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किरी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

(vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनेजमेंट के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(Viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(ix) यदि विषयगत कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

M

(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुरिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रैंक्यौरमेण्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।


(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2021 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगान गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xiii) विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 0.10 लाख का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22, के अन्तर्गत संलग्नक अलॉटमेण्ट आई.डी. संख्या-S20090220032 दिनांक 08 सितम्बर, 2020 के द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या-4227 Chief Engineer PWD में कर दिगा गया है।


(2) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 330/XXVII(2)/2020 दिनांक 08 सितम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।


मध्य दीय
(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव।

संख्या- 1692 (1)/III(2)/20-58(एम.एल.ए.)/2017TCIII तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., हल्द्वानी।
6. सम्बस्ति मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।
10. अधिकारी अभियन्ता, प्रान्तीकृ खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।
11. गाई काईल। 

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग, देहरादून
प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनापूर्वक आवश्यकतापूर्वक सचिव
१) मुख्य अभियन्ता लो.नि.वि., देहरादून
२) अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय वृत्त लो.नि.वि., नैनीताल
३) अधीक्षण अभियन्ता अन्तीय वृत्त लो.नि.वि., नैनीताल
४) अधीक्षण अभियन्ता डाइ.री.सॉल/प्रस्तुत अन्तीय विभागाध्य, लो.नि.वि. ८५१४५
५) बिष्ट/प्रतिलिपि की प्रमुख अभियन्ता संभिकामान लो.नि.वि. ८५१४५


(राकेश रावत)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी।



**बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)**

आवंटन पत्र संख्या -1692/III(2)/20-58(MLA)/17TCIII
अनुदान संख्या-022

आवंटन आई डी-S20090220032
आवंटन पत्र दिनांक-08-SEP-2020

लेखा शीर्षक	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	04-District and other Roads
	337-राज्य निर्माण कार्य	03-राज्य सेक्टर
	02-नगा निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित)	Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वहद निर्माण	1190000	10000	0	1200000
योग	1190000	10000	0	1200000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

A handwritten signature in black ink, appearing to begin with the letter 'M'.